सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

जिल्द 78 श्रावण 8, गुरुवार, शाके 1948– जुलाई 30, 2026 अंक 18
Vol. 78 Sravana 8 , Thursday, Saka 1948–July 30, 2026 No. 18

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर.–187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बंध पत्र द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता भगवती (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व भागवती (पुराना नाम) कहलाती थी, जो महिला कानिस्टेबल (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए पद का नाम) के रूप में जीआरपी लाईन जोधपुर में (जीआरपी उत्तर जोधपुर) पद पर नियुक्त हूँ एतद्द्वाराः–

1. मेरा पूर्व नाम भागवती तथा उसके स्थान पर भगवती ग्रहण करती हूँ। इसलिए मेरे पूर्व नाम भागवती से ना–जाना जाए तथा पहचाना जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किए गए भगवती द्वारा जाना जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करती हूँ कि मैं एतदपश्चात सभी सदस्य निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बन्ध पत्रो, प्रलेख एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथासभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम भागवती के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में भगवती नाम के रूप मे प्रयुक्त करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगी।
3. स्पष्टतः एतदपश्चात तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे तद्नुसार नये रखे नाम भगवती के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा इसके लिए निवेदन करती हूँ।

इसके साक्षी मे मैं, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम भागवती तथा भगवती का वर्णन किया है तथा दिनाक 19–01–2026 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम भगवती द्वारा जो पूर्व में भागवती था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. श्री सतनाम सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी उत्तर जोधपुर।
2. श्री भंवरलाल, पुलिस निरीक्षक जीआरपी लाईन, जोधपुर।

भगवती
हस्ताक्षर
नया नाम : भगवती
पुराना नाम : भागवती

प्रतिहस्ताक्षर
सतनाम सिंह
पुलिस अधीक्षक
जीआरपी उत्तर जोधपुर।

14126

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।